

अधिनियम 2005 के क्लॉज 4(1) (बी)में उल्लिखत 16 मैनुअल के सम्बन्ध में उद्योग विभाग की सूचनाओं का एकत्रीकरण एवं प्रकाशन :-

1- जिला उद्योग केन्द्र, महोबा का विवरण उसकी कार्य प्रणाली एवं कर्तव्य :-

कार्यालय महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, महोबा उत्तर प्रदेश शासन के लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग का जिला स्तरीय कार्यालय है, जो बजरिया महोबा में स्थिति है तथा कार्यालय का दूरभाष नम्बर 05281-253146 है ।

जिला उद्योग केन्द्र द्वारा भावी उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने हेतु प्रेरित करना, प्रोजेक्ट चयन व बनवाने में सहयोग देना, सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम की स्थापना के उद्यम ज्ञापन की अभिस्वीकृति सूचना, औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय संस्थाओं से ऋण उपलब्ध कराने में सहयोग/परामर्श देना, उद्योग व उत्पादकता से सम्बन्धित इकाइयों को विभिन्न विभागों द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली स्वीकृतियां लाइसेन्स/एनओसी आदि को जारी कराने हेतु एकल मेज व्यवस्था का संचालन, निर्यात प्रोत्साहन, उद्यमिता विकास कार्यक्रम, जनपद में स्थापित औद्योगिक आस्थानों के भूखण्ड व शेडों का आवंटन, हस्तशिल्प, हस्तकला से सम्बन्धित इकाइयों से सम्बन्धित शासन की योजनाओं में लाभान्वित करना, हस्तशिल्पियों को आयोजित होने वाले विभिन्न मेलों व प्रदर्शनियों में सम्मिलित करवाना, रूग्ण इकाइयों को पुर्नवासन दर अनुबन्ध औद्योगिक सर्वेक्षण तथा औद्योगिक इकाइयों की समस्याओं के निराकरण हेतु जिला उद्योग बन्धु की बैठकों का आयोजन कराना आदि सम्पादित किये जाते हैं ।

भारत सरकार द्वारा लघु उद्योगों की अस्थायी व स्थायी पंजीकरण की प्रक्रिया को समाप्त करते हुये माइक्रो, स्माल एण्ड मीडियम इन्टर प्राइजेज डेवलपमेन्ट एक्ट लागू किया गया है । (2006 का 27) की अधिसूचना के क्रम में लघु उद्योग मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत इन्टर प्राइजेज मेमोरेण्डम फार सेटिंग अप माइक्रो स्माल एण्ड मीडियम इन्टर प्राइजेज विषयक अधिसूचना दिनांक 30.09.2006 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में ऐसे व्यक्ति जो सूक्ष्म, लघु अथवा मध्यम उद्यमी की स्थापना करने का आशय रखते हैं या जिन्होंने पहले ही स्थापना कर ली हो इन्टरप्रेन्योर मेमोरेण्डम सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र में दाखिल कर सकते हैं ।

मेमोरेण्डम का प्रारूप दो भागों में है कोई व्यक्ति जो माइक्रो या स्माल अथवा मीडियम इन्टर प्राइजेज जो सेवा क्षेत्र में स्थापित करने का आशय इन्टेशन रखता है, जो अपनी इच्छानुसार अथवा ऐसी मीडियम इन्टर प्राइजेज जो उत्पादन का आशय रखता हो कि अनिवार्य रूप से इन्टरप्रेन्योर मेमोरेण्डम का पार्ट-1 भरकर जिला उद्योग केन्द्र में जमा करेंगे ।

सम्बन्धित श्रेणियों के इन्टरप्राइजेज जो उत्पादन में आ जायेंगे अथवा सेवा क्षेत्र में वास्तविक रूप से कार्य करने लगेंगे तो उन्हें इन्टरप्रेन्योर मेमोरेण्डम का पार्ट-2 भरकर जिला उद्योग केन्द्र में जमा करेंगे । इन्टरप्रेन्योर मेमोरेण्डम फार्म इन्टरनेट से डाउन लोड किये जा सकते हैं । अथवा प्रारूप की प्रतियां जिला उद्योग केन्द्र से प्राप्त किये जा सकते हैं । इंगित फार्म WWW.smallindustryindia.com नाम साइट से डाउन लोड किये जा सकते हैं ।

(2)

1- उद्योग विकास और विनियमन 1951 की पहली अनुसूची विनिर्दिष्ट किसी उद्योग से सम्बन्धित माल के विनिर्माण या उत्पादन में लगे उद्यमी की दशा में जैसे :-

क- एक सूक्ष्म उद्यम जहां संयन्त्र और मशीनरी में विनिधान पच्चीस लाख रुपये से अधिक न हो ।

ख- एक लघु उद्यम जहां संयन्त्र और मशीनरी में विनिधान पच्चीस लाख रुपये से अधिक हो किन्तु पांच करोड़ रुपये से अधिक न हो ।

ग- एक मध्यम उद्यम जहां संयन्त्र और मशीनरी में विनिधान पांच करोड़ रुपये से अधिक हो परन्तु दस करोड़ से अधिक न हो ।

2- सेवायें प्रदान करने या उपलब्ध कराने में लगे उद्यमों की दशा में जैसे :-

क- एक ऐसे सूक्ष्म उद्यम के रूप में जहां उपकरण में विनिधान दस लाख रुपये से अधिक न हो ।

ख- एक ऐसे सूक्ष्म उद्यम के रूप में जहां उपकरण में विनिधान दस लाख रुपये से अधिक हो किन्तु दो करोड़ से अधिक न हो ।

ग- एक ऐसे सूक्ष्म उद्यम के रूप में जहां उपकरण में विनिधान दो करोड़ रुपये से अधिक हो किन्तु पांच करोड़ रुपये से अधिक न हो ।

2- जिला उद्योग केन्द्र के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शक्तियां एवं कर्तव्य :-

महाप्रबन्धक :-

जिला उद्योग केन्द्र कार्यालय के कार्यालयाध्यक्ष महाप्रबन्धक होते हैं, जिन्हें जिले के औद्योगिक विकास का अधिकार औद्योगिक इकाइयों की सहायता निर्यात एवं विपणन योजनाओं का संचालन सरकारी विभागों व निगमों द्वारा प्लॉट भूखण्ड आवंटन कय हेतु औद्योगिक इकाइयों से सीधे सम्पर्क स्थापित कर उन्हें प्रेरित करना, मेला प्रदर्शनी आयोजित कर इकाइयों के उत्पादित माल की बिक्री में सहायता करना उद्यमियों को विभिन्न ऋण योजनाओं से अवगत कराना तथा उनकी सहायता करना, बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं से तालमेल बनाये रखना, औद्योगिक ऋणों की वसूली, ऋण खातों का पर्यवेक्षण तथा बीमार इकाइयों के पुनर्वासन आदि कार्यों का निस्तारण करना इसके अतिरिक्त अपने अधीन कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियन्त्रण का अधिकार आदि है ।

(3)

प्रबन्धक "ऋण"

इकाइयों के कच्चा माल की आवश्यकता का आंकलन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट का परीक्षण, तकनीकी उन्नयन की इकाइयों का तकनीकी रूप से परीक्षण करना तथा महाप्रबन्धक के कार्यों में सहयोग करना ।

सहायक प्रबन्धक :-

महाप्रबन्धक के कार्यों में सहयोग जहां आवश्यकता हो निरीक्षण तथा महाप्रबन्धक के निर्देशानुसार विचाराधीन मामलों का प्रस्तुतीकरण एवं जिला स्तर की बैठकों, तहसील दिवसों में भाग लेना तथा अन्य क्षेत्रीय व कार्यालयीय कार्यों का निस्तारण करना ।

बिन्दु संख्या-1 में उल्लिखित विभिन्न कार्य कर्मचारियों के मध्य आवंटित है ।

3- निर्णय लेने की प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षक एवं उत्तरदायित्व के चेनल्स समाहित हैं में अपनायी गई विधि :-

जिला उद्योग केन्द्र कार्यालय में उद्यमियों व अन्य से प्राप्त होने वाले प्रपत्र/सूचनाओं पर महाप्रबन्धक द्वारा मार्किंग उपरान्त सम्बन्धित अधिकारी को भेजे जाते हैं व कार्य वितरण अनुसार सम्बन्धित पटल सहायक को डायरी उपरान्त हस्तगत कराये जाते हैं तो अपनी टिप्पणी/कार्यवाही बाद पुनः महाप्रबन्धक के समक्ष निस्तारण हेतु प्रस्तुत करते हैं/जिन मामलों में इकाइयों/आवेदकों की विविध सूचनाओं की पुष्टि/जानकारी अपेक्षित होती है, उन्हें सम्बन्धित क्षेत्रीय कर्मचारी/सहायक प्रबन्धक/अन्वेषक कम संगणक को दी जाती है । जो अपनी आख्या सम्बन्धित महा प्रबन्धक को प्रस्तुत करते हैं, जिसे समावेशित करते हुये कार्यालय के सहायक/लिपिक द्वारा पत्रावली महाप्रबन्धक के समुख प्रस्तुत की जाती है । कार्यों का निस्तारण किया जाता है ।

4- कर्तव्यों के निर्वाहन हेतु निर्धारित नार्म्स :-

विभिन्न शासकीय योजनाओं के कियान्वयन हेतु केन्द्र तथा राज्य सरकार के वित्तीय फण्डामेन्टल रूल्स व शासकीय प्रक्रिया नियम व उद्योग निदेशालय द्वारा पारित निर्देशों में शासनादेश व औद्योगिक नीति के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप कार्यवाही ।

(4)

- 5- कर्मचारियों द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु रूल्स रेग्यूलेशन/इन्स्ट्रक्सन/मैनुअल और रिकार्ड्स के प्रयोग किये जाने की स्थिति:-

जिला उद्योग केन्द्र कार्यालय में नियमों व निर्देशों के अन्तर्गत अभिलेखों का रख-रखाव किया जाता है। विभिन्न योजनाओं के पटल से सम्बन्धित शासनादेशों/रूल्स रेग्यूलेशन व मैनुअल्स की गार्ड लाइन व निर्देशों के आधार पर कर्मचारियों द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया जाता है।

- 6- नियन्त्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख का विवरण:-

कार्यालय के विविध योजनाओं से सम्बन्धित आवेदन पत्र, गाइड लाइन्स शासनादेश, पंजीकरण के रिकार्ड, सूचना अधिकार देना, एकल मेज व्यवस्था के अन्तर्गत इकाइयों को प्राप्त होने वाले विभिन्न विभागों के आवेदन पत्र, कार्मिकों की सेवा सम्बन्धी, सेवा पुस्तिका, पेंशन, मुकदमें, इन्क्वायरी, जी०पी०एफ०, पासबुक, लेखा सम्बन्धी रिकार्ड, औद्योगिक आस्थान से सम्बन्धित अभिलेख लेजर व डीड विभिन्न ऋण योजनाओं से सम्बन्धित ऋण लेजर व अभिलेख ऋण इकाइयों का पुनःवार्सन से सम्बन्धित प्रपत्र, चरित्र पंजिका, स्टोर बजट रिकार्ड तथा आडिट आदि से सम्बन्धित पत्रावलियां एवं रजिस्टर आदि रखे जाते हैं।

- 7- उद्योग स्थापित करने के सम्बन्ध में :-

जिला उद्योग केन्द्र, महोबा द्वारा औद्योगिक वातावरण के सृजन उद्यमियों को प्रेरित करने तथा आधार भूत सुविधाओं जैसे- भूमि, वित्त अनुमन्य प्रोत्साहनों एवं सुविधाओं की जानकारी उपलब्ध कराये जाने व उद्यमियों के समक्ष उत्पन्न होने वाली समस्याओं के निवारण हेतु उद्योग बन्धु का गठन किया गया है। जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में प्रत्येक माह आयोजित होने वाली जिला उद्योग बन्धु की बैठक में उद्यमियों की विभिन्न समस्याओं का सम्बन्धित विभागों के अधिकारी के सहयोग से निराकरण किया जाता है।

ग्रामीण औद्योगिक आस्थान बजरिया, महोबा मिनी औद्योगिक आस्थान, कुलपहाड़ एवं चरखारी में उपलब्ध भूमि का आवंटन जिला स्तरीय उद्योग बन्धु समिति से कराना

तकनीकी उन्नयन की इकाइयों को उपादन उपलब्ध कराना, बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा प्रदत्त ऋण के ब्याज पर ब्याज उपादन उपलब्ध कराना।

औद्योगिक प्रायोजन हेतु क्रय की जाने वाली भूमि के पंजीयन में लगने वाले स्टाम्प शुल्क से छूट दिलाना।

(5)

8— प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम :- इस योजना के अन्तर्गत बेरोजगार युवकों को भारत सरकार/उ0प्र0 शासन/उद्योग निदेशालय उ0प्र0 कानपुर के दिशा निर्देशों के अनुपालन में वर्ष 2008-09 से चलाई जा रही है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग पूरे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल अभिकरण है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना में वर्ष 2008-09 में 23, वर्ष 2009-10 में 68 एवं वित्तीय वर्ष 2010-11 में अब तक 25 युवकों को लाभान्वित कराया जा चुका है।

9— (अ) कौशल विकास योजना :- हस्तशिल्पियों के लिए प्रशिक्षण तथा कौशल उन्नयन हेतु डिजाइन वर्कशॉप योजना अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 में ग्राम- गौरहारी जनपद महोबा उ0प्र0 में पत्थर पर नक्काशी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें कुल 10 युवक पिछड़ी जाति के 7 एवं अनुसूचित जाति के 3 व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। यह प्रशिक्षण दिनांक 26.07.2010 से छः माह के लिए चलाया जा रहा है।

(ब) अनुसूचित जाति सबप्लान/ट्राइबल सबप्लान प्रशिक्षण योजना :- इस योजना के अन्तर्गत जनपद के बेरोजगार नव युवक/नव युवतियों को आई0टी0आई0 के माध्यम से चाह माह का सैद्धान्तिक/व्यवहारिक प्रशिक्षण दिलाया जाता है। इस योजना में विभिन्न ट्रेडों में वर्षवार प्रशिक्षण कराये गये व्यक्तियों का विवरण :-

| वर्ष | प्रशिक्षण की संख्या | ट्रेड का नाम |
|---------|---------------------|------------------------------------|
| 2007-08 | 40 | कम्प्यूटर प्रशिक्षण |
| 2008-09 | 80 51+29 | मोबाइल रिपेरिंग + ब्यूटी पार्लर |
| 2009-10 | 52 26+26 | कम्प्यूटर हार्ड वेयर + सिलाई कटिंग |
| 2010-11 | 62 31+31 | इलैक्ट्रिशियन + कटिंग एवं सिलाई |

(6)

10- डायरेक्ट्री अधिकारी / कर्मचारी माह दिसम्बर 2010

जिला उद्योग केन्द्र महोबा में कार्यरत अधिकारी / कर्मचारियों का विवरण :-

| क्र० | अधिकारी / कर्मचारी का नाम | पद का नाम | कार्यालय दूरभाष |
|------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 1- | श्री बीरेन्द्र कुमार | प्रबन्धक(ऋण) प्रभारी महाप्रबन्धक | 05281- 253146 |
| 2- | श्री पी०एल० पाल | प्रबन्धक(परियोजना) | " |
| 3- | श्री दादूराम सिंह | सहायक प्रबन्धक | " |
| 4- | श्री हरी शंकर खरे | सहायक प्रबन्धक | " |
| 5- | श्री जे०एल० जैन | सहायक प्रबन्धक | " |
| 6- | श्रीमती गंगा देवी | वरिष्ठ लिपिक | " |
| 7- | श्री भारत भूषण अग्रवाल | वरिष्ठ लिपिक | " |
| 8- | श्री योगेश कुमार गुप्ता | आशुलिपिक | " |
| 9- | श्री रामकृपाल | कनिष्ठ लिपिक | " |
| 10- | श्री आसिफ अली | कनिष्ठ लिपिक | " |
| 11- | श्री सीताराम | कनिष्ठ लिपिक | " |
| 12- | श्री सियाराम | दफ्तरी | " |
| 13- | श्री रमेश कुमार सेन | चौकीदार | " |
| 14- | श्री रामकरन | अर्दली | " |
| 15- | श्री प्रहलाद कुमार | अनुचर | " |
| 16- | श्री केशव कुमार | अनुचर | " |

11- बजट :- अर्थ नियंत्रक उद्योग अनुभाग उद्योग निदेशालय उ०प्र० कानपुर से वर्ष 2008-09 से वेतन व अन्य भत्तों के मद में 47.195 लाख रूपया माह जनवरी 2011 तक तथा आकस्मिक मद में 0.76 लाख रूपये बजट आवंटित हुआ है । नियमानुसार आहरण वितरण कार्यवाही की जा रही है ।

(7)

जिला उद्योग केन्द्र महोबा में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों के वेतन का विवरण :-

जिला उद्योग केन्द्र, महोबा के अधिकारी/कर्मचारियों का मासिक वेतन का विवरण माह दिसम्बर 2010

| क्र 0 | अधिकारी/कर्मचारी का नाव व पद तथा पे-बैंड | मूलवेतन | विशेष वेतन | ग्रेड पे | महगाई भत्ता | मकान किराया भत्ता | अन्य भत्ते/CCA | कुल योग | कुल कटौतियां | शुद्ध देय | अन्य विवरण |
|-------|--|---------|------------|----------|-------------|-------------------|----------------|---------|--------------|-----------|------------|
| 1 | श्री बीरेन्द्र कुमार प्र०ऋ० (15600-39100) | 20,510 | | 5400 | 9,069 | 1,575 | 200 | 36,754 | 2,800 | 33,954 | |
| 2 | श्री पी०एल० पाल प्र०ल० (15600-39100) | 18,240 | | 5400 | 8,274 | 1,575 | 200 | 33,689 | 6,200 | 27,489 | |
| 3 | श्री दादूराम सिंह सहा० प्र० (15600-39100) | 20,510 | | 5400 | 9,069 | 1,575 | 200 | 36,754 | 4,200 | 32,554 | |
| 4 | श्री हरी शंकर खरे सहा० प्र० (9300-34800) | 17,310 | | 4200 | 7,529 | 1,010 | 120 | 30,169 | 4,200 | 25,969 | |
| 5 | श्री जे०एल० जैन सहा० प्र० (9300-34800) | 16,010 | | 4200 | 7,074 | 1,010 | 120 | 28,814 | 2,300 | 26,514 | |
| 6 | श्री मती गंगा देवी क०लि० (5200-20200) | 12,060 | | 2800 | 5,201 | 830 | 80 | 21,371 | 3,355 | 18,016 | |
| 7 | श्री भारत भूषण अग्रवाल क०लि० (5200-20200) | 11,800 | 60 | 2800 | 5,110 | 830 | 80 | 20,680 | 2,100 | 18,580 | |
| 8 | श्री योगेश कुमार गुप्ता आ०लि० (5200-20200) | 9,890 | | 2400 | 4,302 | 735 | 80 | 17,407 | 2,100 | 15,307 | |
| 9 | श्री रामकृपाल क०लि० (5200-20200) | 9,250 | 60 | 2400 | 4,078 | 735 | 80 | 16,603 | 4,100 | 12,503 | |
| 10 | श्री आसिफ अली क०लि० (5200-20200) | 8,850 | | 1900 | 3,763 | 580 | 80 | 15,173 | 2,100 | 13,073 | |
| 11 | श्री सीताराम क०लि० (5200-20200) | 8,690 | | 1900 | 3,707 | 580 | 80 | 15,357 | 1,600 | 13,757 | |
| 12 | श्री रमेश कुमार सेन चौ० (4440-7400) | 8,520 | | 1800 | 3,612 | 550 | 50 | 14,532 | 3,100 | 11,432 | |
| 13 | श्री रामकरन अर्दली (4440-7400) | 7,750 | | 1400 | 3,203 | 465 | 50 | 12,868 | 2,100 | 10,768 | |
| 14 | श्री प्रहलाद कुमार अनु० (4440-7400) | 7,140 | | 1300 | 2,954 | 450 | 50 | 11,894 | 1,100 | 10,794 | |
| 15 | श्री केशव कुमार अनु० (5200-20200) | 5,330 | | 1800 | 2,496 | 550 | 50 | 10,226 | 1,063 | 9,163 | |

12- सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं । प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को बैंकों से ऋण वितरण के उपरान्त उपादान बैंकों के माध्यम से दिये जाने का प्रावधान है । इस योजना के अन्तर्गत अब तक 116 युवकों को ऋण दिलाया जा चुका है ।

13- जिला उद्योग केन्द्र, महोबा द्वारा किसी भी प्रकार का कच्चा माल अथवा परमिट आदि उपलब्ध नहीं कराया जाता है ।

14- उद्योग निदेशालय उ०प्र० कानपुर की वेबसाइट www.uptpa.com में औद्योगिक नीति व उससे सम्बन्धित विविध शासनादेश, देश/प्रदेश के महत्वपूर्ण विभागों /संस्थाओं के वेब साइट/लिंक्स आदि की जानकारी उपलब्ध कराई गई है ।

15- जिला उद्योग केन्द्र, महोबा के कार्यालय में परामर्श कक्ष के माध्यम से भाव इन्टरपिन्योर व आगुन्तकों को उद्योग के सम्बन्ध में विविध प्रकार की जानकारी उपलब्ध प्रोजेक्ट रिपोर्टस व पत्रिकायें जानकारी अध्ययन हेतु दी जाती हैं, इसके अलावा कतिपय आधुनिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उद्यमिता विकास संस्थान के माध्यम से भी विभाग उपलब्ध करवाता है ।

16- कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के परिप्रेक्ष्य में निम्नवत् अधिकारी नामित हैं, जो विभाग से सम्बन्धित उपलब्ध करायेंगे ।

| क्र० | नाम व पद नाम | कार्यालय का पता | दूरभाष नं० | नामित पद |
|------|---------------------------------------|---|---------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1- | श्री जे०बी० सिंह संयुक्त निदेशक | संयुक्त निदेशक उद्योग चि०धा०मं० बांदा | 05192 -224666 | अपीलीय अधिकारी |
| 2- | श्री बीरेन्द्र कुमार महाप्रबन्धक | महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र बजरिया, महोबा | 05281-253146 | जन सूचना अधिकारी |
| 3- | श्री पी०एल० पाल प्रबन्धक(परियोजना) | महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र बजरिया, महोबा | 05281-253146 | सहा० जनसूचना अधिकारी |

Bk
महा प्रबन्धक
जिला उद्योग केन्द्र
महोबा